रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 252] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 22, 1986/ज्येष्ठ 1, 1908
No. 252] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 22, 1986/JYAISTHA 1, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(रसायन एवं पैट्रो-रसायन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मई, 1936

सा० का० नि० 798(अ).—भोपाल गैस रिसाव त्रासदी (दावों की प्रक्रिया) अधिनियम, 1985 (1985 का 21) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उस अधिनियम के अन्तर्गत अपनी सभी शक्तियां (धारा 3 एवं 4 के अन्तर्गत अपनी शक्तियों को धारा 6 के अन्तर्गत भोपाल गैस रिसाव त्रासदी के पीड़ितों के कल्याण हेतु आयुक्त की नियुक्ति करने की शक्ति तथा धारा 9 के अन्तर्गत कोई योजना तैयार करने की शक्ति को छोड़कर) मध्य प्रदेश सरकार को प्रदान करती है।

[सं० 21(10)/85-रसायन-I]
श्यामल घोष, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Chemicals & Petro-Chemicals)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th May, 1986

G.S.R. 798(E).—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Bhopal Gas Leak Disaster (Processing of Claims) Act, 1985 (21 of 1985), the Central Government hereby delegates all its powers under that Act (excepting its powers under sections 3 and 4, the power to appoint the Commissioner for the welfare of the victims of the Bhopal gas leak disaster under Section 6 and its power to frame a Scheme under section 9) to the Government of Madhya Pradesh.

[No. 21(10)|85-Ch.I]

SHYAMAL GHOSH, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986